न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 01/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/01

प्रार्थी	बनाम	अप्रर्थी
रामूराम पुत्र थानाराम, जाति नायक, निवासी मणू, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. उपखण्ड अधिकारी लाडनूं 2. भगवानाराम पुत्र मालूराम, जाति प्रजापत, निवासी मणू तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लाडनूं बाबत् राजस्व प्रकरण संख्या 56/2024

उपस्थितः–
1. श्री प्रकाश डूकिया वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश कुमार ढ़ाका वकील अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 03.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थी भगवानारम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 बअनुवान भगवानाराम बनाम कुनकी के नाम से पेश किया हुआ हैं जिसकी तारीख पेशी दिनांक 08..01.2025 की है।
2. भगवानाराम ने झुठे तथ्यों पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट का पेश कर रखा है। भगवानाराम जो कि राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उपखण्ड अधिकारी के साथ मिलकर अप्रार्थीगण को बिना सुने ही उक्त प्रकरण को विधि विरूद्ध फैसल कराने पर उतारू हो रखा है तथा उक्त प्रकरण की तारीखे भी विधि अनुसार ना देकर अपनी मर्जी से दी जा रही है। कल दिनांक 18.12.2024 को स्पष्ट रूप से धमकी दी कि उक्त प्रकरण का फैसला मेरे हक में करा के ही रहुंगा, मेरे व उपखण्ड अधिकारी के मध्य सांठ गांठ हो रखी है, इसलिए तुमसे जो होता हैं वो कर लो, उक्त प्रकरण को मेरे हक में ही करा के रहूंगा। माननीय उपखण्ड अधिकारी भी प्रार्थी को धमका रहा हैं कि उक्त प्रकरण का फैसला तो भगवानाराम के हक में ही करेंगे।
3. उक्त जमीन प्रार्थी की पैतृक जमीन है। भगवानाराम उक्त जमीन में से जबरन रास्ता निकालने पर उतारू हो रखा है जबकि भगवानाराम के खेत में आने जाने हेतु दुसरा कटाणी रास्ता भी लगता है। लेकिन भगवानाराम उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अधिकारी से मिलीभगत करके जबरन प्रार्थी के खेत में से रास्ता निकालने की हठधर्मिता पर उतारू हो रखा है और उपखण्ड अधिकारी भी भगवानाराम के पक्ष में उक्त प्रकरण का फैसला करने हेतु प्रार्थी को डराया व धमकाया भी जा रहा है। इसलिए प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है।

4. वर्तमान उपखण्ड अधिकारी लाडनूं भगवानाराम जो कि राजनैतिक अप्रोच वाला व्यक्ति है, के दबाव में है एवं उनके द्वारा मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा रही हैं।

5. उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 02.01.2025 को नियत है। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से निष्पक्ष न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

6. प्रार्थी अनुसूचित जाति से आते है, जिनको भगवानाराम व उपखण्ड अधिकारी दोनों मिलकर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में से रास्ता निकालने पर उतारू हो रखे है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से प्रार्थी को कतई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय व निर्णय चाहता है। किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को ऐसा अंदेशा हैं कि निष्पक्ष न्याय व निर्णय नहीं होगा और प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत न्याय व निर्णय होने की सम्भावना है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 2024 बअनुवान भगवानाराम बनाम कुनकी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के पंत्राक 1540 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 02 कि तरफ से वकील श्री रमेश कुमार ढाका ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय में कई और पक्षकार है जिनको माननीय न्यायालय हाजा में पेश किये गये आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 01 में किस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आवेदन पेश किया है इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि पद नाम अंकित किया है जबकि पद नाम का न तो स्थानान्तरण होता है और न ही पद नाम किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित करता है। बल्कि निर्णय पीठासी[illegible] जाता है। ऐसी स्थिति में भी उक्त आवेदन बेबुनियाद तथ्यों के आधा[illegible] किया हुआ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। धारा [illegible] अपनाई जाती है तथा पिछले काफी समय से [illegible] नस्थ न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है तथा वहां पर किसी न किसी प्रका[illegible] प्रकरण में विलम्ब करने का प्रयास

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

किया जाता रहा है एवं जब वहां पर प्रकरण बहस की स्टेज पर आया तो माननीय न्यायालय हाजा में वेग तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदन का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त आवेदन मिथ्या, काल्पनिक व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 02 राजनैतिक अप्रोच वाला व्यक्ति है तथा वह उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से मिलीभगत कर प्रार्थी के खेत में से जबरदस्ती रास्ता लेना चाहता है। जबकि अप्रार्थी भगवानाराम के खेत में आने जाने हेतु दुसरा कटाणी रास्ता भी लगता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 56/2024 बअनुवान भगवानाराम बनाम कुनकी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय में कई और पक्षकार है जिनको माननीय न्यायालय हाजा में पेश किये गये आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी सं0 01 में किस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आवेदन पेश किया है इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि पद नाम अंकित किया है जबकि पद नाम का न तो स्थानान्तरण होता है और न ही पद नाम किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित करता है। बल्कि निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया हुआ होने के कारण खारिज किया जावें।

बहस के तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। वकिल प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रार्थना पत्र पदनाम से पेश किया गया है न की किसी पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में और भी कई पक्षकार है जिनकों भी वकील प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाये है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested